भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4974**

जिसका उत्तर मंगलवार, 23 जुलाई, 2019/01 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक संवितरण तंत्र

4974. श्री संतोष कुमारः
श्री मनोज तिवारीः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री रेबती त्रीपुराः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में निकट भविष्य में उर्वरक संवितरण तंत्र पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से बिहार, दिल्ली/एन॰सी॰आर॰, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या निकट भविष्य में संलिप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उर्वरक संवितरण को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा प्रत्येक मौसम के लिए अनुमानित आवश्यकता के अनुसार उर्वरक विभाग राज्य स्तर पर सभी उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और राज्य के भीतर वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। देश भर में सभी प्रमुख राजसहायताप्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली के जरिये की जा रही है।

राज्य सरकारों को राजसहायताप्राप्त यूरिया की कालाबाजारी, तस्करी और औद्योगिक क्षेत्र में विपथन को रोकने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने मार्च, 2018 से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है। डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक खुदरा बिक्री दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्पनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से की जाती है।

****